न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी श्री उम्मेद सिह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 87/2019
प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू एकट

1. बलवीर सिह उर्फ कुलवीर सिह पुत्र श्री बिलूसिह जाति मजबीसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

उपस्थित :–

1 श्री राजेश बुढानियां अधिवक्ता – प्रार्थीया

निर्णय दिनांक :– 16.10.2019

वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट का इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थी के नाम से चक नं. 5 केएसडी के खाता संख्या 3/8 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में खाता अग्रेजकोर वगैरा में 0.103 है. व 1 आईडीजी के खाता संख्या 5/3 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 में 0.126 है. व चक नं. 2 पीटीपी के खाता संख्या 28/30 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में 0.028 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातो की जमाबन्दिया संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का नाम उपरोक्त जमाबन्दियों में बलवीर सिह पुत्र बिल्लू सिह जाति मजबी दर्ज है। प्रार्थी का नाम बलवीर सिह व कुलवीर सिह दो नाम है। प्रार्थी को दोनो नामों से जाना जाता है। प्रार्थी का नाम आधारकार्ड भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में कुलवीर सिह पुत्र बिलू सिह दर्ज हैं। अब प्रार्थी का नाम जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजो में अलग–अलग होने के कारण काफी कठिनाइयों सामाना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी अपना नाम चक नं. 5 केएसडी के खाता संख्या 3/8 व चक नं. 1 आईडीजी के खाता संख्या 5/3 व चक नं. 2 पीटीपी खाता संख्या 28/30 में अपना नाम कुलवीर सिह उर्फ बलवीर सिह करवाना चाहता है। इसी अनुसार प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कई बार निवेदन किया कि उक्त प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में दुरूस्त कर अंकन करवा दो तो अप्रार्थी ने कहा की न्यायालय से आदेश लेकर आओं तभी जमाबन्दी दुरूस्त होगी। बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है।

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध

में रिपोर्ट चाहने के बाद उन्होने अपने पत्र क्रमांक 3840 दिनांक 26.09.2019 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 5 केएसडी के खाता संख्या 3/जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता अग्रेज कौर वगेरा व चक 1 आईडीजी के खाता संख्या 5/3 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 एवं चक 2 पीटीपी के खाता संख्या 28/30 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में बलवीर सिह पुत्र बल्लूसिंह जाति मजबी साकिन नुकेरा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रूबरू मोतविरानो व पड़ौसियो से पूछताछ मे पता चला है कि बलवीर सिह व कुलवीर सिह दोनो नाम एक ही व्यक्ति होना बतलाया है। प्रार्थी का नाम उक्त चको के उक्त खातो के राजस्व रिकार्ड में कुलवीर सिह उर्फ बलवीर सिह परिवर्तीत किया जाना उचित बतलाया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए। दिनांक 16.10.2019 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नुकेरा से जारी वारिस प्रमाण पत्र मूल पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत नुकेरा द्वारा जारी वारिसनामा से प्रार्थना पत्र प्रार्थी पुर्णतः सिद्व पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 5 केएसडी के खाता संख्या 3/जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता अग्रेज कौर वगेरा व चक 1 आईडीजी के खाता संख्या 5/3 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 एवं चक 2 पीटीपी के खाता संख्या 28/30 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में प्रार्थी का नाम कुलवीर सिह उर्फ बलवीर सिह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसी मुताबिक जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

क्रमांक : रीडर/18/ दिनांक :–

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

विषय :– प्रार्थना पत्र संख्या 87/2019 अनवान बलवीर सिह उर्फ कुलवीर सिह बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया में पारित निर्णय की पालना के संबंध में।

उपरर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना पत्र संख्या 87/2019 अनवान बलवीर सिह उर्फ कुलवीर सिह बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 की प्रति आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः आप उक्त निर्णय की नियमानुसार पालना कर रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः निर्णय की प्रति

(उम्मेद सिह रतनू)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 17:35:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: